



2026:AHC:178586

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29815 वर्ष 2026

विकास कुमार उर्फ विककी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अनिल कुमार ओझा

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार ओझा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन अपराध संख्या 21 सन् 2026, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र में पंजीकृत प्रकरण में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है तथा वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति की हत्या के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी, किंतु विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर आवेदक को अभियुक्त बना दिया गया है।
4. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि संदेह के आधार पर आवेदक का नाम सामने आने के पश्चात्, अभियोजन के अनुसार, उसने साक्षी रोहित अग्रवाल के समक्ष न्यायेतर स्वीकारोक्ति की।
5. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि, अभियोजन के अनुसार आवेदक के विरुद्ध संदेह एवं उसकी न्यायेतर स्वीकारोक्ति के अतिरिक्त, जब आवेदक को गिरफ्तार किया गया, तब उसके निशानदेही पर उसके रक्तरंजित कपड़े, जो उसने घटना के समय पहने थे, तथा अपराध में अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



कथित रूप से प्रयुक्त एक धारदार हथियार भी बरामद किया गया, किंतु संपूर्ण बरामदगी झूठी एवं प्रायोजित है तथा आज तक कथित रूप से बरामद वस्तुओं को वर्तमान अपराध से जोड़ा नहीं जा सका है, हालाँकि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जो आवेदक को वर्तमान अपराध से जोड़ सके।

6. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य मामले का आपराधिक इतिहास है, जो आबकारी अधिनियम से संबंधित है तथा उसके आपराधिक इतिहास का वर्तमान जमानत आवेदन में स्पष्टीकरण दिया गया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 13.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है, अर्थात् विगत छह माह से अधिक समय से।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्क का खंडन नहीं कर सके।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

9. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं था, किंतु इससे परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर वर्तमान मामले में आवेदक का नाम सामने आया है।

10. अभिलेख से आगे यह भी परिलक्षित होता है कि अभियोजन के अनुसार आवेदक ने एक साक्षी के समक्ष न्यायेतर स्वीकारोक्ति भी की थी तथा संदेह एवं उसकी कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति के अतिरिक्त, यह भी परिलक्षित होता है कि आवेदक की निशानदेही पर उसके रक्तरंजित कपड़े तथा एक धारदार हथियार भी बरामद किया गया था, किंतु इससे आगे यह परिलक्षित होता है कि आज तक कथित रूप से बरामद वस्तुओं को अपराध से जोड़ा नहीं जा सका है, हालाँकि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



11. आवेदक के विरुद्ध उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, यह न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में सार पाता है कि प्रथमदृष्टया ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जो उसे वर्तमान अपराध से जोड़ सके।

12. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का एक मामले का आपराधिक इतिहास है, किंतु वह मामला आबकारी अधिनियम से संबंधित है तथा उसके आपराधिक इतिहास का वर्तमान जमानत आवेदन में स्पष्टीकरण दिया गया है।

13. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 13.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है, अर्थात् विगत छह माह से अधिक समय से।

14. अतः, ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16. आवेदक— विकास कुमार @ विक्की को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उतनी ही धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसे प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

17. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



18. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

24 अगस्त, 2026

ए.के पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।